पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 फरवरी, 2018 ई0 (माघ 14, 1939 शक सम्वत्) [संख्या–05

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	83–94	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	105–134	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	57–58	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	23–28	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग

विज्ञप्ति/नियुक्ति

03 जनवरी, 2018 ई0

संख्या 09/कौ0वि0सेवा0/12/प्रशि/2017–प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य, श्रेणी–2 के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुति के फलस्वरूप श्री ओमप्रकाश आर्य को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तरकाशी में प्रधानाचार्य, श्रेणी–02, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पैरा–2 एवं 3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन नियुक्त/तैनात करते हुए, दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रधानाचार्य, श्रेणी–02 की सेवाएँ "उत्तर प्रदेश राज्य प्रशिक्षण (श्रम विभाग) सेवा नियमावली, 1981" के संगत सेवा नियमों तथा ऐसी समस्त सेवा शर्तों के आधार पर होगी, जो समय–समय पर, द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(2.1) उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। यदि स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं प्रागवृत्त सत्यापन, आरक्षित श्रेणी संबंधी प्रमाण–पत्रों के सत्यापन आदि में कोई प्रतिकूल तथ्य/रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

(2.2) संबंधित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रधानाचार्य श्रेणी–02 के पद पर अपनी योगदान आख्या संबंधित संस्थान में सक्षम अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए, शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(2.3) परिवीक्षा के दौरान नवचयनित प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. तैनाती स्थल/संस्थान में रिपोर्ट करने के उपरान्त निम्न सूचनाएँ एवं प्रमाण–पत्र निदेशक, प्रशिक्षण के माध्यम से शासन में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी, तदोपरान्त ही योगदान सूचना स्वीकार की जायेगीः–

(3.1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

(3.2) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों।

(3.3) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा–पत्र।

(3.4) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने की घोषणा/शपथ–पत्र।

(3.5) इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़ें जाने का प्रमाण–पत्र।

(3.6) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सक्रिय सेवा में हों, किन्तु उनके संबंधित न हों, के द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(3.7) शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति से संबंधित मूल प्रमाण–पत्र एवं उसकी एक प्रमाणित प्रति।

(3.8) लिखित रूप से एक "UNDER TAKING" कि यदि पुलिस सत्यापन चरित्र एवं प्रागवृत्त के सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो स्वतः नियुक्ति निरस्त समझी जाय।

(3.9) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों की जाँच, संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरान्त यदि कोई प्रमाण–पत्र जाली/त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन/नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी।

4. अतः संबंधित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वह प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि तक उपरोक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित तैनाती स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं हैं। तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

5. उक्त नियुक्तियाँ मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका सं0 271/2017, शिप्रा थपलियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन रहेगी।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

03 जनवरी, 2018 ई0

संख्या 1050/कौ0वि0सेवा0/12/प्रशि/2017–प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य, श्रेणी–2 के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुति के फलस्वरूप श्री राजीव पुष्पाकंर को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दन्या, अल्मोड़ा में प्रधानाचार्य, श्रेणी–02, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पैरा–2 एवं 3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन नियुक्त/तैनात करते हुए, दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रधानाचार्य, श्रेणी–02 की सेवाएँ "उत्तर प्रदेश राज्य प्रशिक्षण (श्रम विभाग) सेवा नियमावली, 1981" के संगत सेवा नियमों तथा ऐसी समस्त सेवा शर्तों के आधार पर होगी, जो समय–समय पर, द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(2.1) उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। यदि स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं प्रागवृत्त सत्यापन, आरक्षित श्रेणी संबंधी प्रमाण–पत्रों के सत्यापन आदि में कोई प्रतिकूल तथ्य/रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

(2.2) संबंधित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रधानाचार्य श्रेणी–02 के पद पर अपनी योगदान आख्या संबंधित संस्थान में सक्षम अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए, शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(2.3) परिवीक्षा के दौरान नवचयनित प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. तैनाती स्थल/संस्थान में रिपोर्ट करने के उपरान्त निम्न सूचनाएँ एवं प्रमाण–पत्र निदेशक, प्रशिक्षण के माध्यम से शासन में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी, तदोपरान्त ही योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी:–

(3.1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

(3.2) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों।

(3.3) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा–पत्र।

(3.4) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने की घोषणा/शपथ–पत्र।

(3.5) इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़ें जाने का प्रमाण–पत्र।

(3.6) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सक्रिय सेवा में हों, किन्तु उनके संबंधित न हों, के द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(3.7) शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति से संबंधित मूल प्रमाण–पत्र एवं उसकी एक प्रमाणित प्रति।

(3.8) लिखित रूप से एक "UNDER TAKING" कि यदि पुलिस सत्यापन चरित्र एवं प्रागवृत्त के सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो स्वतः नियुक्ति निरस्त समझी जाय।

(3.9) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों की जाँच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरान्त यदि कोई प्रमाण–पत्र जाली/त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन/नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी।

4. अतः संबंधित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वह प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि तक उपरोक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित तैनाती स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं हैं। तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

5. उक्त नियुक्तियाँ मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका सं0 271/2017, शिप्रा थपलियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन रहेगी।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग–1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

28 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 969/XX–1–2017–2(1)2009–भारतीय पुलिस सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग) के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–4 में अंकित तिथि से पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ, समय वेतनमान, वेतन मैट्रिक्स में स्तर–11 के पद पर प्रोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	अनुमन्यता की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री लोकेश्वर सिंह	2014	01 जनवरी, 2018
2.	श्री मंजूनाथ टी0सी0	2014	01 जनवरी, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

28 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 1023/XX–1–2017–2(30)2004–उत्तराखण्ड पुलिस विभाग के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम–4(2) के द्वितीय परंतुक में प्रदत्त शक्तियों के अधीन, भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में, पुलिस महानिरीक्षक, वेतन मैट्रिक्स में स्तर–14 के 03 पद, एक वर्ष के लिए अस्थाई रूप से सृजित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्तानुसार सृजित अस्थायी पदों के कर्तव्य एवं दायित्व संवर्गीय पदों के समान होंगे तथा उक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नत होने वाले अधिकारियों की पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, मृत्यु अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने की दशा में उक्त पद स्वतः समाप्त समझे जायेंगे।

आज्ञा से,
आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–5

अधिसूचना

22 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 1226/XX(5)/17–03(अर्द्ध0सै0)/2016–श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) तथा धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन सैनिक कल्याण अनुभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या 1195/XXVII–5/16–03/अर्द्ध0सै0/2016, दिनांक 22.12.2016 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या 1073/XX(5)/16–03(अर्द्ध0सै0)/2016, दिनांक 23.10.2017 के क्रम में उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन यह घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का लोक प्रयोजनार्थ ग्राम जोग्यूड़ा, जिला पिथौरागढ़ में 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी जौलजीबी की स्थापना हेतु कुल 0.156 हे0 निजी भूमि की आवश्यकता है। अतः, श्री राज्यपाल महोदय, कलेक्टर, पिथौरागढ़ को निर्देश देते हैं कि उक्त भूमि का अर्जन करने की कार्यवाही करें।

चूंकि, श्री राज्यपाल महोदय की यह राय हैं कि यह मामला अत्यावश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय, अग्रेत्तर यह भी निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 23 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया गया है, तथापि उक्त लोक प्रयोजनार्थ पिथौरागढ़ के कलेक्टर धारा 21 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अवसान पर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा कर सकते हैं:–

अनुसूची

जिला	परगना	मौजा	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हे0)
1	2	3	4	5
पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	जोग्यूड़ा	1889	0.023
			1890	0.004
			1891	0.003
			1892	0.009
			1893	0.003
			1894 म0	0.014
			1896 म0	0.012
			1897 म0	0.014
			1898 म0	0.012
			1899 म0	0.008
			1907	0.010
			1908	0.024
			1909	0.003
			1910	0.004
			1911	0.004
			1912	0.009
			योग–16	0.156

टिप्पणी–भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलेक्टर, पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितवद्ध व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अधिसूचना

04 जनवरी, 2018 ई0

संख्या 12/XX(5)/18–01(अर्द्ध0सै0)2016–श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) तथा धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन सैनिक कल्याण अनुभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या 1196/XX(5)/16–01(अर्द्ध0 सै0)/2016, दिनांक 22.12.2016 के क्रम में उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन यह घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजनार्थ जिला पिथौरागढ़ के ग्राम ढूगांतोली में सशस्त्र सीमा बल की 55वीं वाहिनी सीमा चौकी ढूगांतोली की स्थापना हेतु 0.251 हे0 निजी भूमि की आवश्यकता है। अतः, पिथौरागढ़ के कलेक्टर को निर्देश देते हैं कि उक्त भूमि का अर्जन करने की कार्यवाही करें।

चूंकि, श्री राज्यपाल महोदय की यह राय हैं कि यह मामला अत्यावश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय, अग्रेत्तर यह भी निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 23 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया गया है, तथापि उक्त लोक प्रयोजनार्थ पिथौरागढ़ के कलेक्टर धारा 21 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अवसान पर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा ले सकते हैं:–

अनुसूची

जिला	परगना	मौजा	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हे0)
1	2	3	4	5
पिथौरागढ़	अस्कोट	ढूगांतोली	2693	0.024
			2694	0.011
			2695	0.005
			2696	0.003
			2697	0.005
			2698	0.016
			2699	0.018
			2700	0.011
			2701	0.015
			2702	0.023
			2703	0.010
			2704	0.013
			2705	0.016
			2706	0.004
			2707	0.009
			2708	0.011
			2709	0.001
			2710	0.003
			2711	0.013
			2712	0.005
			2713	0.008
			2714	0.004
			2715	0.019
			2717	0.004
			योग–24	0.251

टिप्पणी–भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलेक्टर, पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितवद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 12/XX(5)/17-01(Para.M.)/2016 Dehradun,** Dated *January 04, 2018* for general information.

NOTIFICATION

January 04, 2018

No. 12/XX(5)/18-01(Para.M.)/2016--In continuation of Notification No. 1196/XX(5)/16-01 Paramilitary/2016, Dated 22.12.2016, issued under sub-section (1) of section 11 and sub-section (4) of section 40 of the Right to Fair Compensation And Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation And Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to declare under sub-section (1) of section 19 of the said Act that the land mentioned in the Schedule below is needed for a public purpose, namely for establishment of the New Border Post, Dhungatoli of 55th BN SSB on total 0.251 hect. private land at village Dhungatoli, Distt. Pithoragarh. Therefore direct the Collector of District Pithoragarh to take action for acquire to the said land.

Whereas the Governor is being satisfied that the case is one of urgency, therefore the Governor is further pleased direct under sub-section (4) of section 40 that though no award under section 23 has been made, the Collector, Pithoragarh may, on the expiration of 15 days from the publication of the notice under sub-section (1) of section 21, take possession on the said land mentioned in the Schedule below for the said public purposes.

SCHEDULE

District	Pargana	Mauza	Plot No.	Area (Hect.)
1	2	3	4	5
Pithoragarh	Askot	Dhungatoli	2693	0.024
			2694	0.011
			2695	0.005
			2696	0.003
			2697	0.005
			2698	0.016
			2699	0.018
			2700	0.011
			2701	0.015
			2702	0.023
			2703	0.010
			2704	0.013
			2705	0.016
			2706	0.004
			2707	0.009
			2708	0.011

1	2	3	4	5
			2709	0.001
			2710	0.003
			2711	0.013
			2712	0.005
			2713	0.008
			2714	0.004
			2715	0.019
			2717	0.004
			Total 24	**0.251**

NOTE--Area of the land and other details may be inspected by the intersted person in the office of collector, Pithoragarh.

By Order,
ANAND BARDHAN,
Principal Secretary.

शुद्धि–पत्र

03 जनवरी, 2018 ई0

संख्या 06/XX(5)/18–13(अर्द्ध0 सै0)/2016–गृह अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1131/XX–5/16–13(1) (अर्द्ध0 सै0)/2016, दिनांक 21.03.2017 के हिन्दी आलेख में अंकित 'मौजा बूँदी' के स्थान पर 'मौजा गर्ब्याग' पढ़ा जायेगा तथा उक्त अधिसूचना, दिनांक 21.03.2017 इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 06/XX(5)/18-13(Para.M.)/2016 Dehradun**, Dated January 03, 2018 for general information.

CORRIGENDUM

January 03, 2018

No. 06/XX(5)/18-13(Para.M.)/2016--In notification No. 1131/XX(5)/16-13 (Para.M)/2016, Dated 21.03.2017 of Home Section-5 of the Uttarakhand Government shall be read "Mauja Garbyang" in the place of "Mauja Bundi" and notification dated 21.03.2017 shall be deemed amended up to this limit.

ANAND BARDHAN,
Principal Secretary.

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति

नियुक्ति

29 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 1701/XXX–1–17–25(01)2017–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2012 के आधार पर चयनोपरान्त की गई संस्तुति के क्रम में श्री रविन्द्र कुमार जुवाँठा (अनुक्रमांक–653841) को उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में वेतन लेवल–10 (अपुनरीक्षित वेतनमान ₹ 15,600–39,100 + ग्रेड पे ₹ 5,400) में नियुक्त करते हुए, डॉ0 रघुनन्दन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री रविन्द्र कुमार जुवाँठा को प्रथम नियुक्ति पर उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18.12.2017 से 10.03.2018 के मध्य आयोजित होने वाले आधारभूत प्रशिक्षण हेतु तैनात किया जाता है तथा उनकी सेवा "उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली, 2005" (समय–समय पर यथासंशोधित) तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तों से विनियमित होगी।

3. श्री रविन्द्र कुमार जुवाँठा के जाति प्रमाण–पत्र/स्थायी निवास प्रमाण–पत्र/चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन आतिथि तक प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः उन्हें औपबन्धिक रूप से नियुक्ति इस प्रतिबन्ध/शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है कि यदि उनके चरित्र व पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट तथा जाति प्रमाण–पत्र/स्थायी निवास प्रमाण–पत्र के सत्यापनोपरान्त किसी या किन्हीं प्रमाण–पत्रों के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। श्री रविन्द्र कुमार जुवाँठा द्वारा उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी में रिपोर्ट करते समय इस आशय का नोटराइज्ड शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि उनके चरित्र व पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट तथा जाति प्रमाण–पत्र/स्थायी निवास प्रमाण–पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो उनकी नियुक्ति निरस्त किए जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और इस सम्बन्ध में उनका कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

4. डॉ0 रघुनन्दन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में योगदान प्रस्तुत करते समय श्री रविन्द्र कुमार जुवाँठा के द्वारा निम्नानुसार सूचनाएँ/प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे तथा समुचित कारणों के बिना योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनके अभ्यर्थन/नियुक्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगीः–

(1) समस्त चल/अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा–पत्र।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा–पत्र।

(3) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के संबंध में प्रमाण–पत्र।

(4) उक्त प्रस्तर–3 के अनुसार शपथ–पत्र।

(5) प्रशिक्षण अवधि में अनिवार्य रूप से अकादमी छात्रावास में ही अवस्थान किया जाना होगा तथा अकादमी के बाहर ठहरने की अनुमति नहीं होगी। अकादमी छात्रावास में बिस्तर इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है, अतः अपने साथ बिस्तर इत्यादि ले जाने की आवश्यकता नहीं है।

(6) अकादमी छात्रावास में परिवार को साथ रखने की सुविधा अनुमन्य नहीं है।

(7) प्रशिक्षण अवधि में विभिन्न औपचारिक अवसरों पर ड्रेस कोड निर्धारित है, पुरुषों हेतु बन्द गले का काला कोट तथा पैंट व काले जूते तथा महिलाओं के लिए क्रीम रंग की लाल बार्डर वाली प्लेन साड़ी, क्रीम ब्लॉउज/स्वेटर–काला कोट व काले सैंडिल।

(8) प्रशिक्षण अवधि में अनिवार्य रूप से क्रीड़ा/व्यायाम गतिविधियों में प्रतिभाग किया जाना होगा। अतः क्रीड़ा/व्यायाम के लिए ट्रैक सूट/सफेद पैंट–नेकर व टी–शर्ट तथा पी0टी0/स्पोर्ट्स शूज की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें।

(9) उपरोक्त अवधि में नैनीताल में जाड़ों का मौसम रहता है, अतः प्रशिक्षणार्थी अपने साथ गर्म कपड़े इत्यादि लेकर आयें।

(10) प्रशिक्षण अवधि में भोजन तथा आवास पर होने वाला व्यय ₹ 300/– (रु0 तीन सौ मात्र) प्रति दिवस की दर से अपने दैनिक भत्ते में से वहन किया जायेगा, जबकि प्रशिक्षण कार्यक्रम के सापेक्ष किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।

(11) प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

(12) उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल में योगदान देने हेतु कोई यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(13) उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(14) यह नियुक्ति मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट पिटीशन (PIL) 67/2011, रिट याचिका संख्या–61/2016, रिट याचिका संख्या–05/2018, रिट याचिका संख्या–90/2016, रिट याचिका संख्या–438/2015, रिट याचिका संख्या–71/2014, रिट याचिका संख्या–76/2015, रिट याचिका संख्या–81/2015, रिट याचिका संख्या–95/2015, रिट याचिका संख्या–83(एस0बी0)/2015, रिट याचिका संख्या–96(एस0बी0)/2015, रिट याचिका संख्या–105 (एस0बी0)/2015 एवं रिट याचिका संख्या–477 (एस0बी0)/2015 तथा अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी।

आज्ञा से,
राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

02 जनवरी, 2018 ई0

संख्या 919/XVIII(3)/2017–3(1)/2017–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित ग्राम, जिसे अधिसूचना संख्या–49(2)/94–81–94–राजस्व–14, दिनांक 02 जून, 1995 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाएँ इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेंगी।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4
नैनीताल	कालाढूंगी	भावर कोटा	पतलिया
	रामनगर	भावर कोटा	लदुवा चौड़

आज्ञा से,
हरबंस सिंह चुघ,
प्रभारी सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 919/XVIII(3)/2017-3(1)/2017,** dated January 02, 2018 for general information.

NOTIFICATION

January 02, 2018

No. 919/XVIII(3)/2017-3(1)/2017--In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act. No. 3 of 1901), (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that the Survey and Record Operation in the village mentioned in the Schedule below which were placed under Survey and Record Operation Vide Govt. Notification No. 49(2)/94-81-94-Rev-14, dated June 02, 1995 shall be closed with effect from the date of publication of this notification in the official gazette.

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of Village
1	2	3	4
Nainital	Kaladhungi	Bhawar Kota	Pataliya
	Ramnagar	Bhawar Kota	Laduwa Chour

By Order,
HARBANS SINGH CHUGH,
Secretary In-charge.

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग

शुद्धि–पत्र

26 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 2257/XLI–1/17–104/14 टी0सी0IV–विज्ञप्ति संख्या 1895/XLI–1/17–104/14टी0सी0IV, दिनांक 18.10.2017 द्वारा राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता भौतिकी के रिक्त पदों पर अनन्तिम रूप से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की गई।

2. उक्त विज्ञप्ति दिनांक 18.10.2017 के क्रमांक संख्या 1 पर अंकित सुश्री नम्रता देयाल का नाम त्रुटिवश सुश्री नम्रता दयाल टंकित हो गया है। अतः क्रमांक 1 पर अंकित नाम के स्थान पर सुश्री नम्रता देयाल पढ़ा जाय।

उक्त विज्ञप्ति संख्या 1895/XLI–1/17–104/14टी0सी0IV, दिनांक 18.10.2017 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
अपर सचिव।

पंचायती राज अनुभाग–2

विज्ञप्ति/संशोधन

18 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 965/xii(2)/2017–90(20)/2017–शासन की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या–941/xii(2)/2017–90(20)/2017, दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 के द्वारा लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2012 के आधार पर कार्य अधिकारी, जिला पंचायत के पद पर चयनित

कुल 06 अभ्यर्थियों को डॉ0 रघुनन्दन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18.12.2017 से प्रारम्भ होने वाले आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु योगदान प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

2. अधिशासी निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर के पत्र संख्या 989 पाँच–31/आधारभूत प्रशि0/2017–18, दिनांक 18.12.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 08 जनवरी, 2018 से 22 फरवरी, 2018 तक (45 दिवसीय) प्रस्तावित किया गया है। अतः उक्त के आधार पर अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 18.12.2017 को संयुक्त निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, निदेशालय, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून में अपना योगदान प्रस्तुत करते हुए, "उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर" में दिनांक 08 जनवरी, 2018 से दिनांक 22 फरवरी, 2018 (45 दिवसीय) तक प्रस्तावित आधारभूत प्रशिक्षण में संस्थान के निर्देशों के अनुसार प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

3. उक्त अवधि दिनांक 18.12.2017 से दिनांक 07.01.2018 तक जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, निदेशालय, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में विभिन्न क्रियाकलापों का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4. उक्त अभ्यर्थियों के तैनाती के आदेश पृथक से किए जायेंगे।

5. शासन की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या–941/Xii(2)/2017–90(20)/2017, दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

जी0 एन0 पन्त,
उप सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 05 हिन्दी गजट/75–भाग 1–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 फरवरी, 2018 ई0 (माघ 14, 1939 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL

NOTIFICATION

December 19, 2017

No. 287/UHC/XIV-a/37/Admin.A/2017--Sri Rizwan Ansari, Civil Judge (Jr. Div.), Chakrata, District Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 09 days *w.e.f.* 04.11.2017 to 12.11.2017.

NOTIFICATION

December 19, 2017

No. 288/UHC/XIV/69/Admin.A/2003--Smt. Rama Pandey, F.T.C./ADJ/Special Judge, POCSO, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 08 days *w.e.f.* 17.11.2017 to 24.11.2017.

NOTIFICATION

December 20, 2017

No. 289/UHC/XIV-a/36/Admin.A/2015--Sri Alok Ram Tripathi, Civil Judge (Jr. Div.), Champawat is hereby sanctioned earned leave for 26 days *w.e.f.* 13.11.2017 to 08.12.2017 with permission to prefix 11.11.2017 and 12.11.2017 as second Saturday and Sunday holidays and suffix 09.12.2017 and 10.12.2017 as second Saturday and Sunday holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/–

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

December 21, 2017

No. 290/UHC/Admin.A/2017--In exercise of the powers conferred by Rule 27(ii) of the Uttarakhand Higher Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling in this behalf, the Hon'ble Court is pleased to grant the Super time Scale of ₹ 70,290-1,540-76,450 to the following officers, after completing 03 years of continuous service in the Selection Grade of H.J.S. Cadre, from the date mentioned against their names :--

Sl. No.	Name of the officer	Date of grant of Super time Scale
1.	Smt. Meena Tiwari	13.06.2016
2.	Sri Rajendra Singh	01.12.2017

NOTIFICATION

December 21, 2017

No. 291/UHC/Admin.A/2017--In exercise of the powers conferred by Rule 27(I) of the Uttarakhand Higher Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling in this behalf, Hon'ble the Court is pleased to grant the selection grade of ₹ 57,700-1,230-58,930-1,380-67,210-1,540-70,290 to the following officers, after completing 05 years of continuous service in the H.J.S. Cadre, from the date mentioned against their names :--

Sl. No.	Name of the officer	Date of grant of Selection Grade Pay Scale
1.	Sri Nitin Sharma	01.06.2016
2.	Sri Dhananjay Chaturvedi	13.06.2016
3.	Sri Anuj Kumar Sangal	01.07.2016
4.	Sri Rajeev Kumar Khulbey	01.08.2016
5.	Sri Kaushal Kishore Shukla	27.09.2016
6.	Smt. Sujata Singh	13.10.2016
7.	Sri S. M. D. Danish	01.12.2016
8.	Sri Yogesh Kumar Gupta	01.12.2017

By Order of the Court,

Sd/–

NARENDRA DUTT,

Registrar General.

NOTIFICATION

December 22, 2017

No. 292/UHC/XIV-a-59/Admin.A/2012--Smt. Payal Singh, Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar is hereby sanctioned child care leave for 25 days *w.e.f.* 20.11.2017 to 14.12.2017, in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011, dated 30.05.2011 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

December 22, 2017

No. 293/UHC/XIV-a/35/Admin.A/2016--Ms. Chandreshwari Singh, Judicial Magistrate-III, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 14 days *w.e.f.* 27.11.2017 to 10.12.2017.

NOTIFICATION

December 22, 2017

No. 294/UHC/XIV-a-33/Admin.A/2015--Ms. Tista Shah, 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 04 days *w.e.f.* 27.11.2017 to 30.11.2017 with permission to prefix 26.11.2017 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

December 27, 2017

No. 295/UHC/XIV-a/26/Admin.A/2010--Sri Gurubakksh Singh 2nd Additional District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned paternity leave for 15 days *w.e.f.* 04.12.2017 to 18.12.2017, in terms of GO. No. 819/xxxvii(7)34/2010-11 dated 31.12.2013.

NOTIFICATION

December 29, 2017

No. 296/UHC/XIV-a/39/Admin.A/2012--Ms. Sweta Pandey, Civil Judge (Jr. Div.), Laksar, District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 12.12.2017 to 21.12.2017.

NOTIFICATION

December 29, 2017

No. 297/UHC/XIV-a/39/Admin.A/2016--Ms. Kalpana, Civil Judge (Jr. Div.), Pratapnagar, District Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 25 days *w.e.f.* 20.11.2017 to 14.12.2017 with permission to prefix 19.11.2017 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

December 29, 2017

No. 298/UHC/XIV-a-27/Admin.A/2016--Sri Ramesh Chandra, Civil Judge (Jr. Div.), Dharchula, District Pithoragarh is hereby sanctioned earned leave for 25 days *w.e.f.* 20.11.2017 to 14.12.2017 with permission to prefix 19.11.2017 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

December 29, 2017

No. 299/UHC/XIV-a/42/Admin.A/2011--Sri Rahul Garg, Additional District Judge, Laksar, District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 12.12.2017 to 21.12.2017.

NOTIFICATION

January 04, 2018

No. 01/UHC/XIV-a/32/Admin.A/2015--Ms. Meenal Chawla, Civil Judge (Jr. Div.), Ranikhet, District Almora is hereby sanctioned medical leave for 34 days *w.e.f.* 16.11.2017 to 19.12.2017.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/--

Registrar (Inspection).

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, PITHORAGARH

CHARGE-CERTIFICATE

December 18, 2017

No. 621/I-05-2016--Certified that the office of Civil Judge (Jr. Div.), Dharchula, District Pithoragarh was Taken over after availing the earned leave *w.e.f.* 20.11.2017 to 14.12.2017 with permission to prefix 19.11.2017 as Sunday holiday sanctioned *vide* Hon'ble High Court's letter no. 5051/XIV-a/27/Admin.A/2016, dated 16.11.2017, as hereinafter denoted, in the forenoon of 15.12.2017.

RAMESH CHANDRA,
Civil Judge (Jr. Div.),
Dharchula,
District Pithoragarh.

Counter-signed,
(Illegible)
District Judge,
Pithoragarh.

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)

01 जनवरी, 2018 ई0

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 4684/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि–अनुभाग/17–18/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन, वित्त, अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएँ 1000/2017/146(120)/XXVII(8)/2008; एवं 1001/2017/146(120)/XXVII(8)/2008, समदिनांकित 29.12.2017 द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची III के क्रमांक "3" एवं क्रमांक "5" के बाद नई प्रविष्टि क्रमशः "3क" एवं "5क" अन्तःस्थापित किया जाना अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

29 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 1000/2017/146(120)/XXVII(8)/2008–चूँकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 27, वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 01, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची III में, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से, निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

संशोधन

अनुसूची III के क्रमांक 3 पर विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:–

क्र0 सं0	माल का वर्णन	कर का बिन्दु	कर की दर प्रतिशत
1	2	3	4
3(क)	डीजल ऑयल, जो संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रय कराधान अधिनियम, 1939 के अधीन यथा परिभाषित है, को जब उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी की औद्योगिक इकाई* को उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन कराधेय माल के विनिर्माण की प्रक्रिया में प्रयोग के लिए, ऐसी प्रक्रियानुसार तथा ऐसे प्रमाण–पत्र के विरूद्ध विक्रीत किया जाए, जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित किया जाए।	विनिर्माता या आयातकर्ता	5%

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 1000/2017/146(120)/XXVII(8)/2008**, dated December 29, 2017 for general information.

NOTIFICATION

December 29, 2017

No. 1000/2017/05(120)/XXVII(8)/2008--WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest,

NOW THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow to make the

following amendment, with effect from the date of issuance of this Notification, in Schedule III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005;

AMENDMENT

In Schedule III, after the existing entry at serial no. 3, the following new entry shall be inserted; namely:--

S. No.	Description of Goods	Point of Tax	Rate of Tax Percentage
1	2	3	4
3(A)	Diesel as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel oil and Alcohol Taxation Act, 1939 when sold to an industrial unit* of a dealer registered under the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017) for use in the process of manufacture of taxable goods under the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, in pursuance of such manner and against such certificate as may be prescribed by the Commissioner.	Manufacturer or Importer	5%

अधिसूचना

29 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 1001/2017/05(120)/XXVII(8)/2011–चूँकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 27, वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 01, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची III में, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से, निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

संशोधन

अनुसूची III क्रमांक 5 पर विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:–

क्र0 सं0	माल का वर्णन	कर का बिन्दु	कर की दर प्रतिशत
1	2	3	4
5(क)	कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (C.N.G.) से भिन्न प्राकृतिक गैस, जब उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी की औद्योगिक इकाई* को उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन कराधेय माल के विनिर्माण की प्रक्रिया में प्रयोग के लिए, ऐसी प्रक्रियानुसार तथा ऐसे प्रमाण–पत्र के विरूद्ध विक्रीत किया जाए, जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित किया जाए।	विनिर्माता या आयातकर्ता	5%

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 1001/2017/05(120)/XXVII(8)/2011**, dated December 29, 2017 for general information.

NOTIFICATION

December 29, 2017

No. 1001/2017/05(120)/XXVII(8)/2011--WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest,

Now THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow to make the following amendment, with effect from the date of issuance of this Notification, in Schedule III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005;

AMENDMENT

In Schedule III, after the existing entry at serial no. 5, the following new entry shall be inserted; namely:--

S. No.	Description of Goods	Point of Tax	Rate of Tax Percentage
1	2	3	4
5(A)	Natural gas other than Compressed Natural Gas (CNG) when sold to an industrial unit* of a dealer registered under the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017) for use in the process of manufacture of taxable goods under the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, in pursuance of such manner and against such certificate as may be prescribed by the Commissioner.	Manufacturer or Importer	5%

(विधि–अनुभाग)

02 जनवरी, 2018 ई0

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 4695/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि–अनुभाग/17–18/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएँ 05/2018/9(120)/XXVII(8)/2017; 06/2018/9(120)/XXVII(8)/2017; 07/2018/9(120)/XXVII(8)/2017 एवं 08/2018/9(120)/XXVII(8)/2017 समदिनांकित 29.12.2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा तिमाही जुलाई–सितम्बर, 2017; अक्टूबर–दिसम्बर, 2017 एवं जनवरी–मार्च, 2018 हेतु जीएसटीआर–1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समयावधि निर्धारित करने; रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर–4 में विवरणी देने में असफल रहने पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय विलम्ब फीस की रकम, ऐसे विस्तार तक, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान जारी रहती है, दस रुपये की रकम से अधिक है, अधित्यक्त रहने; दिनांक 01 फरवरी, 2018 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करने की स्वीकृति प्रदान करने, जिससे अधिसूचना संख्या 792, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 के क्रम संख्या 9 एवं क्रम संख्या 10 के उपबंध प्रवृत होंगे एवं उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2017 अधिसूचित किया गया।

उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

01 जनवरी, 2018 ई0

संख्या 05/2018/9(120)/XXVII(8)/2017/CT–71–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और अधिसूचना सं0 1019/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति के लिए ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए नीचे दी गई विशेष प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति जो नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समयावधि तक की गई है, के ब्यौरे को प्ररूप जीएसटीआर–1 में प्रस्तुत कर सकते हैं; अर्थात्:–

सारणी

क्रम सं0	तिमाही, जिसके लिए प्ररुप जीएसटीआर–1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररुप जीएसटीआर–1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समयावधि
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई–सितम्बर, 2017	10 जनवरी, 2018
2.	अक्तूबर–दिसम्बर, 2017	15 फरवरी, 2018
3.	जनवरी–मार्च, 2018	30 अप्रैल, 2018

3. अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 मास के लिए, यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय सीमा के विस्तार को तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 05/2018/9(120)/XXVII(8)/2017/CT-71**, dated January 01, 2018 for general information.

NOTIFICATION

January 01, 2018

No. 05/2018/9(120)/XXVII(8)/2017/CT-71--WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) and in supersession of notification No 1019/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated 5th December, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, on the recommendations of the Council, the Govemor is pleased to allow to notify the registered persons having

aggregate turnover of upto 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons, who may follow the special procedure as detailed below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons may furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-I** effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:--

Table

Sl No.	Quarter for which the details in **FORM GSTR-1** are furnished	Time period for furnishing the details in **FORM GSTR-1**
(1)	(2)	(3)
1.	July-September, 2017	10th January, 2018
2.	October-December, 2017	15th February, 2018
3.	January-March, 2018	30th April, 2018

3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of July, 2017 to March, 2018 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

अधिसूचना

01 जनवरी, 2018 ई0

संख्या 06/2018/9(120)/XXVII(8)/2017/CT–73–चूँकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा नियत तारीख तक प्ररुप जीएसटीआर–4 में विवरणी देने में असफल रहने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय विलम्ब फीस की रकम को अधित्यजन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो ऐसे प्रत्येक दिन, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है।

परन्तु जहाँ उक्त विवरणी में राज्य कर के स्थान पर देय कुल रकम शून्य है, वहाँ उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख तक उक्त विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति देय विलम्ब फीस की रकम, ऐसे विस्तार तक, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, दस रुपये की रकम से अधिक है, अधित्यक्त रहेगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 06/2018/9(120)/XXVII(8)/2017/CT-73**, dated January 01, 2018 for general information.

NOTIFICATION

January 01, 2018

No. 06/2018/9(120)/XXVII(8)/2017/CT-73--WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to waive the amount of late fee payable under section 47 of the said Act by any registered person for failure to furnish the return in FORM GSTR-4 by the due date, which is in excess of an amount of twenty five rupees for every day during which such failure continues :

Provided that where the total amount payable in lieu of State tax in the said return is nil, the amount of late fee payable under section 47 of the said Act, by any registered person for failure to furnish the said return by the due date shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

अधिसूचना

01 जनवरी, 2018 ई0

संख्या 07/2018/9(120)/XXVII(8)/2017/CT–74–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 एवं उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2017 की क्रम संख्या 1(2) पर उल्लिखित व्यवस्था के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 फरवरी, 2018 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिससे अधिसूचना सं0 792/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 के क्रम संख्यांक 9 और क्रम संख्यांक 10 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 07/2018/9(120)/XXVII(8)/2017/CT-74**, dated January 01, 2018 for general information.

NOTIFICATION

January 01, 2018

No. 07/2018/9(120)/XXVII(8)/2017/CT-74--WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) and under the provision mentioned at serial no. 1(2) of the Uttarakhand Goods and Services Tax (sixth amendment) Rules, 2017, the Governor is pleased to allow to appoint the 1st day of February, 2018 as the date from which the provisions of serial number 9 and 10 of notification No. 792/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated 10th October, 2017, shall come into force.

अधिसूचना

01 जनवरी, 2018 ई0

संख्या 08/2018/9(120)/XXVII(8)/2017/CT–75–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहर्ष, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2017

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, ये दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 17 में संशोधन

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे यहाँ आगे मूल नियम कहा गया है) के नियम 17 के वर्तमान उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्–

(1क) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन प्रदान किया गया विशिष्ट पहचान संख्यांक उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन प्रदान किया गया समझा जायेगा।

3. नियम 19 में संशोधन — "मूल नियम" के नियम 19 के वर्तमान उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

(1क) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की किसी विशिष्टि का, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से आयुक्त के आदेश के सिवाय और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो आयुक्त,उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट करे, उस तारीख से, जो सामान्य पोर्टल पर प्ररुप जीएसटीआरईजी–14 में आवेदन प्रस्तुत करने, की तारीख से पूर्वतर हो, संशोधन नहीं किया जायेगा।

4. नियम 89 में संशोधन — दिनांक 23 अक्तूबर, 2017 से "मूल नियम" के नियम 89 के स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रखा जायेगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(4) माल या सेवा या दोनों के शून्य–दर पूर्ति की दशा में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में बचन–पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय के बिना निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार प्रदान किया जायेगा।	(4) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार बंध–पत्र या परिवचन–पत्र के अधीन कर का संदाय किये बगैर माल या सेवाओं या दोनों के शून्य दर प्रदाय की दशा में इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दिया जायेगा।
प्रतिदाय रकम=(माल के शून्य दर पूर्ति का आवर्त+सेवा के शून्य दर पूर्ति का आवर्त) × निवल आई टी सी ÷ समायोजित कुल आवर्त जहाँ:	प्रतिदाय की रकम=(माल के शून्य दर पूर्ति का आवर्त+ सेवाओं के शून्य दर पूर्ति का आवर्त) × शुद्ध आई टी सी ÷ समायोजित कुल आवर्त जहाँ:
(अ) "प्रतिदाय रकम" से अधिकतम प्रतिदाय जो अनुज्ञेय है, अभिप्रेत है;	(अ) "प्रतिदाय रकम" से ऐसा अधिकतम प्रतिदाय अभिप्रेत है, जो अनुज्ञेय हो;
(आ) "शुद्ध आईटीसी" से सुसंगत अवधि के दौरान इनपुट और इनपुट सेवाओं पर लिया गया निवेश कर प्रत्यय अभिप्रेत है;	(आ) "शुद्ध आईटीसी" से ऐसे उपभोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय से भिन्न, जिसके लिए उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है, ऐसी सुसंगत अवधि के दौरान इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है।
(इ) "माल के शून्य दर पूर्ति का आवर्त" से वचन–पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय बिना सुसंगत अवधि के दौरान किये गये माल के शून्य दर पूर्ति का मूल्य अभिप्रेत है;	(इ) "माल के शून्य दर पूर्ति के आवर्त" से ऐसे पूर्तियों के आवर्त से भिन्न, जिसके संबंध में उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है, बंध–पत्र या परिवचन–पत्र के अधीन कर के संदाय के बिना सुसंगत अवधि के दौरान किये गये माल के शून्य दर पूर्ति का मूल्य, अभिप्रेत है;
(ई) "सेवा के शून्य दर पूर्ति का आवर्त" से वचन–पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय बिना सुसंगत अवधि के दौरान किये गये सेवा के शून्य दर पूर्ति का मूल्य अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित रीति में संगणित किया जायेगा, अर्थात्, "सेवा के शून्य दर पूर्ति, सेवा के शून्य दर पूर्ति के लिए सुसंगत अवधि के दौरान प्राप्त किये गये संदायों और सेवा के शून्य दर पूर्ति, जहाँ पूर्ति पूरा किया जा चुका है, जिसके लिए संगत अवधि से पूर्व किसी	(ई) "सेवाओं के शून्य दर पूर्ति के आवर्त" से बंध–पत्र या परिवचन–पत्र के अधीन कर संदाय बिना निम्नलिखित रीति में संगणित किये गये सेवाओं के शून्य दर पूर्ति का मूल्य, अभिप्रेत है, अर्थात्, "सेवाओं के शून्य दर पूर्ति, सेवाओं के शून्य दर पूर्ति के लिए सुसंगत अवधि के दौरान प्राप्त संदायों का योग है और संदायों की शून्य दर पूर्ति, जहाँ पूर्ति पूर्ण हो गई है, जिसके लिए सुसंगत अवधि से पहले की किसी

स्तम्भ–1 वर्तमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
अवधि में संदाय अग्रिम प्राप्त कर लिया गया है, के योग में से सेवाओं की शून्यदर पूर्ति, जिसके लिए संगत अवधि के दौरान सेवाओं की पूर्ति को पूरा नहीं किया गया है, के लिए प्राप्त अग्रिम घटाकर है;	अवधि में अग्रिम के तौर पर संदाय प्राप्त हुआ था, जिसे सेवाओं के शून्य दर पूर्ति के लिए प्राप्त अग्रिमों द्वारा घटाया गया है, जिसके लिए सुसंगत अवधि के दौरान सेवाओं की पूर्ति पूर्ण नहीं हुई है;
(उ) "समायोजित कुल आवर्त" से धारा 2 की उपधारा (112) के अधीन यथापरिभाषित राज्य में सुसंगत अवधि के दौरान शून्य दर पूर्तियों से भिन्न छूट पूर्तियों के मूल्य को छोड़कर आवर्त अभिप्रेत है;	(उ) "समायोजित कुल आवर्त" से सुसंगत अवधि के ..... (क) शून्य दर पूर्तियों से भिन्न छूट प्राप्त पूर्तियों के मूल्य और (ख) ऐसे पूर्तियों का आवर्त, जिसके संबंध में उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा, यदि कोई हो, किया गया है, को अपवर्जित करते हुए धारा 2 के खण्ड (112) के अधीन यथापरिभाषित किसी राज्य का आवर्त अभिप्रेत है;
(ऊ) "सुसंगत अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है, जिसके लिए दावा किया गया है।	(ऊ) "सुसंगत अवधि" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसके लिए दावा फाइल किया गया है।
	(4क) ऐसे प्राप्त पूर्तियों की दशा में, जिन पर पूर्तिकार ने अधिसूचना संख्यांक 914/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 10 नवम्बर, 2017 के लाभ का उपभोग किया है, माल या सेवाओं को शून्य दर पूर्ति बनाने में उपयोग किये गये अन्य इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपभोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय अनुदत्त किया जायेगा।
	(4ख) ऐसे प्राप्त पूर्तियों की दशा में जिन पर पूर्तिकार ने अधिसूचना सं0 916/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 10 नवम्बर, 2017 या अधिसूचना सं0 41/2017 एकीकृत कर (दर) तारीख 23 अक्तूबर, 2017 या दोनों के लाभ का उपभोग किया है, माल के निर्यात के लिए उक्त अधिसूचनाओं के अधीन प्राप्त इनपुटों के संबंध में उपभोग किये गये कर प्रत्यय का प्रतिदाय और माल का ऐसा निर्यात करने में प्रयोग की गई सीमा तक अन्य इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अनुदत्त किया जायेगा।"
(5) विपरीत शुल्क ढाँचा के संबंध में निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित फार्मूलों के अनुसार प्रदान किया जायेगाः–	
अधिकतम प्रतिदाय रकम : [(माल की विपरीत दर पूर्ति का आवर्त) × शुद्ध आईटीसी ÷ समायोजित कुल आवर्त]–माल के ऐसे विपरीत दर पूर्ति पर कराधेय कर,	
स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए पद "शुद्ध आईटीसी और समायोजित कुल आवर्त" से वह अर्थ समनुदेशित है, जो उपनियम (4) में उनके लिए हैं।	

5. नियम 95 में संशोधन

"मूल नियम" के नियम 95 में–

(क) स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रखा जायेगा; अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान उपनियम	स्तम्भ–1 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) धारा 55 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार अपने आवक पूर्तियों पर उसके द्वारा संदत्त कर का प्रतिदाय के दावे के लिए पात्र कोई व्यक्ति प्रतिदाय के लिए प्ररुप जीएसटी आरएफडी–10 में प्रतिदाय के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार समान पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से चाहें सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सहायता केन्द्र के माध्यम से प्ररुप जीएसटीआर–11 में माल या सेवाओं या दोनों के आवक पूर्तियों के कथन सहित प्ररुप जीएसटीआर–1 में तत्स्थानी पूर्तिकारों द्वारा आवक पूर्तियों के कथन के आधार पर तैयार रूप में आवेदन करेगा।	"(1) धारा 55 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार उसके आंतरिक पूर्तियों पर उसके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने के लिए पात्र कोई व्यक्ति, प्ररुप जीएसटीआरएफडी–10 में प्रतिदाय के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार समान पोर्टल पर या अन्य अन्यथा, इलेक्ट्रानिक रूप से प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्ररुप जीएसटीआर–11 में माल या सेवाओं या दोनों के आन्तरिक पूर्तियों के विवरण के साथ आवेदन करेगा;

(ख) उपनियम (3) के खण्ड (क) में "और संदत्त कर को छोड़कर, यदि कोई है, एकल कर बीजक के अधीन आने वाले पूर्ति का पाँच हजार रुपए से अधिक मूल्य" शब्दों का लोप किया जायेगा।

6. नियम 96 में संशोधन

दिनांक 23 अक्तूबर, 2017 से "मूल नियम" के नियम 96 में–

(क) शीर्षक में "निर्यात किये गये माल" शब्दों के पश्चात् "या सेवाओं" शब्द अंतःस्थापित किये जायेंगे,

(ख) उपनियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

(9) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे पूर्तियों को प्राप्त नहीं किया गया होगा, जिन पर पूर्तिकार ने अधिसूचना सं0 914/2017/9(120)XXVII(8)/2017, दिनांक 10 नवम्बर, 2017 या 916/2017/9(120)XXVII(8)/2017, दिनांक 10 नवम्बर, 2017 या अधिसूचना संख्यांक 41/2017–एकीकृत कर (दर) तारीख 23 अक्तूबर, 2017 के लाभ का उपयोग किया है।

7. प्ररुप जीएसटी आरईजी–10 में संशोधन

"मूल नियम" के वर्तमान प्ररुप जीएसटीआरईजी–10 के स्थान पर अग्रसारित प्ररुप रखा जायेगा, अर्थात्:–

"प्ररूप जी0एस0टी0 आर0ई0जी0–10"

[*नियम 14(1) देखें*]

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, भारत में किसी व्यक्ति को भारत से बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुँच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की पूर्ति करवाने वाले व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनः–

भाग–क

(i)	व्यक्ति का विधिक नाम	
(ii)	कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या, जिसके आधार पर उस देश की सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है	
(iii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का ई–मेल पता	
(v)	भारत में नियुक्त प्रतिनिधि का नाम, यदि कोई है:– (क) भारत में प्रतिनिधि का स्थाई खाता संख्या (ख) भारत में प्रतिनिधि का ई–मेल पता (ग) भारत में प्रतिनिधि का मोबाइल नं0 (+91)	
टिप्पण–जहाँ व्यवहार्य हो, भाग–ख को भरने से पूर्व, वहाँ ऊपर प्रस्तुत सुसंगत जानकारी ऑनलाइन सत्यापन के अध्यधीन है।		

भाग–ख

1.	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ब्यौरे (भारत का निवासी होगा)		
	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम
	फोटो		
	लिंग		पुरुष/स्त्री/अन्य
	पदनाम		
	जन्म की तारीख		तारीख/मास/वर्ष
	पिता का नाम		
	राष्ट्रीयता		
	आधार, यदि कोई हो		
	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का पता		पता पंक्ति 1. पता पंक्ति 2. पता पंक्ति 3.
2.	भारत में ऑनलाइन सेवा के प्रारम्भ की तारीख		तारीख/मास/वर्ष
3.	वेबसाइट, जिसके माध्यम से कराधेय सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, के एक समान स्रोत अवस्थापक (यूआरएल): 1. 2. 3.		

4.	अधिकारिता		केन्द्र		बैंगलुरु पश्चिम, सी0जी0एस0टी0, कमिशनरेट	
5.	भारत में प्रतिनिधि के बैंक खाते के ब्यौरे (यदि नियुक्ति हुई है)					
	खाता सं0			खाता का प्रकार		
	बैंक का नाम		शाखा का पता		आइएफएससी	
6.	अपलोड किये गये दस्तावेज प्ररुप में फील्ड मूल्यों के अनुसार अपलोड किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों (अनुदेश देखें) की अनुकूल सूची					
7.	घोषणा मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है। मैं ..... यह घोषणा करता हूँ कि मैं रजिस्टरकर्ता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ। मैं कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित गैर–निर्धारिती ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता से दायी से कर प्रभारित करूँगा और संग्रहीत करूँगा और उसे भारत सरकार में जमा करूँगा। हस्ताक्षर स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम तारीख : पदनाम :					

टिप्पण : आवेदक से पासपोर्ट और फोटो की स्कैन की गई प्रति के साथ घोषणा (अधोलिखित रूप विधान के अनुसार) अपलोड करने की अपेक्षा की जायेगी।

साक्ष्य के रूप में अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार हैं:–

1.	भारत में प्रतिनिधि के कारबार के स्थान का सबूतः (क) स्वयं के परिसरों के लिए– नवीनतम सम्पत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति, जैसे परिसरों के स्वामित्य के समर्थन में कोई दस्तावेज। (ख) किराये पर या पट्टे पर लिये गये परिसरों के लिए– पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित विधिमान्य किराया/पट्टा करार की प्रति जैसे नवीनतम सम्पत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति । (ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए– सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमति–पत्र की प्रति/साँझा की गई सम्पत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए, जैसे नगरपालिका खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति।
2.	निम्नलिखित के सबूत : वीजा ब्यौरों के साथ अनिवासी करदाता के पासपोर्ट की स्कैन की गई प्रति। कम्पनी/सोसाइटी/एलएलपी/एफसीएनआर आदि के मामले में ऐसा व्यक्ति, जो प्राधिकार–पत्र के साथ मुख्तारनामा धारण करता है।

	निगमन के प्रमाण–पत्र की स्कैन की गई प्रति, यदि कम्पनी भारत से बाहर या भारत में रजिस्ट्रीकृत है। उपरोक्त के देश द्वारा जारी अनुमति की स्कैन की गई प्रति। भारत सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की स्कैन की गई प्रति।
3.	बैंक खाता सम्बद्ध सबूतः बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ/बैंक विवरण के एक पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति। स्वत्वधारी/कारबार समुत्थान के नाम में धारित बैंक पासबुक का आरम्भिक पृष्ठ, जिसमें खाताधारक का खाता संख्या, नाम/एमआइसीआर और आइएफएससी तथा शाखा के ब्यौरे अन्तर्विष्ट हों।
4.	भारत में प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों की स्कैन कापी, यदि लागू हों।
5.	प्राधिकार प्ररूपः– प्राधिकार प्ररूप में उल्लिखित हस्ताक्षरी के लिए, निम्नलिखित रूप विधान में फाइल की जाने वाली प्रबन्ध समिति या निदेशक बोर्ड के प्राधिकार या उसके संकल्प की प्रतिः प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरी के लिए अलग से) मैं ..... (प्रबन्ध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्तारनामाधारक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि कारबार << कारबार का नाम >> जिसके लिए आरईजी का आवेदन केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन फाइल किया जा रहा है/रजिस्ट्रीकृत है, के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने के लिए << प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम >> प्राधिकृत हूँ। इस कारबार के सम्बन्ध में उसकी सभी कार्रवाईयाँ मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगी। उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर, जो भारसाधक हैं। क्र0 सं0 पूरा नाम पदाभिधान/प्रास्थिति हस्ताक्षर 1. प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में स्वीकृति मैं << (प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम) >> ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने की अपनी स्वीकृति सत्यनिष्ठा से देता हूँ और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे। (नाम) प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षरस्थान तारीख : पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश–

1. यदि प्राधिकृत हस्ताक्षरी भारत में नहीं रहता है, तो डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र के माध्यम से प्रमाणीकरण नहीं किया जायेगा। प्रमाणीकरण इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन कोड (ई वी सी) के माध्यम से किया जायेगा।
2. भारत ने नियुक्ति प्रतिनिधि से अभिप्रेत एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 14 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट है।

8. प्ररूप जीएसटी आरईजी–13 में संशोधन

"मूल नियम" के वर्तमान प्ररूप जीएसटी आरईजी–13 में:–

(क) भाग–ख के क्रम सं0–4 में "राज्य में इकाई का पता" शब्दों के स्थान पर "इकाई का पता, जिसके संबंध में केन्द्रीयकृत यू0आई0एन0 चाहा गया है" शब्दों को रखा जायेगा;

(ख) अनुदेशों में, "प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलेक्ट्रानिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा या अन्यथा।";

9. प्ररूप जीएसटी आर–11 में संशोधन

"मूल नियम" के वर्तमान प्ररूप जीएसटी आर–11 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जायेगा, अर्थात्:–

"प्ररूप जी0एस0टी0 आर0–11"

[*नियम 82 देखें*]

विशिष्टि पहचान संख्यांक (यूआईएन) वाले व्यक्तियों द्वारा आवक पूर्ति का विवरण

वर्ष	
कर अवधि	

1.	यू एन आई															
2.	यू एन आई वाले व्यक्ति का नाम															

3. प्राप्त आवक पूर्ति के ब्यौरे

(सभी सारणी के लिए रकम रुपए में)

प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक/नामे नोट/जमापत्र के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम				पूर्ति का स्थान
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3क. प्राप्त बीजक										
3ख. प्राप्त नामे नोट/जमापत्र										

सत्यापन

मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और या घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

हस्ताक्षर.....

स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम.....

तारीख : पदनाम/प्रास्थिति.....

अनुदेश :

1. प्रयुक्त शब्द :

   (क) जीएसटीआईएनः–माल और सेवा कर पहचान संख्यांक,

   (ख) यूआईएनः–विशिष्ट पहचान संख्यांक

2. प्रतिदाय आवेदन उसी राज्य में फाइल करना होगा, जहाँ विशिष्ट पहचान संख्यांक दिया गया है।

3. प्रतिदाय प्रयोजन के लिए केवल वही बीजक प्रविष्ट किये जा सकेंगे, जिन पर प्रतिदाय माँगा गया है।

10. प्ररूप जी0एस0टी0 आरएफडी–10 में संशोधन "मूल नियम" के वर्तमान जी0एस0टी0 आरएफडी–10 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जायेगा, अर्थात्:–

प्ररूप जी0एस0टी0 आर0एफ0डी0–10

[*नियम 95 (1) देखें*]

संयुक्त राष्ट्र का कोई विशिष्ट अभिकरण या कोई बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

1. यूनिक पहचान संख्या :

2. नाम :

3. पता :

4. कर अवधि (तिमाही) : दिन/मास/वर्ष से तक.....< दिन/मास/वर्ष >

5. ए आर एन और जी एस टी आर 11 की तारीख : ए आर एन < ..... >< दिन/मास/वर्ष >

6. दावा प्रतिदाय की रकम < आई एन आर >< शब्दों में >

राज्य	केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	उपकर
कुल				

7. बैंक खाते का ब्यौरा :

(क) बैंक खाता संख्या

(ख) बैंक खाते का प्रकार

(ग) बैंक का नाम

(घ) खाताधारक/संचालक का नाम

(ङ) बैंक शाखा का पता

(च) आई एफ एस सी

(छ) एम आई सी आर

8. सत्यापन :

मैं,.....<< दूतावास/अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम >> का प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

यह कि हम सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास कोई अन्य व्यक्ति विशिष्ट व्यक्तियों का वर्ग के रूप में ऐसे प्रतिदाय दावा के पात्र हैं।

स्थान :

तारीख : प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश–

1. प्रतिदाय के लिए आवेदन तिमाही आधार पर किया जायेगा।
2. सारणी सं0 6, जी एस टी आर–11 की सारणी 3 में दिये गये ब्यौरे से स्वतः भरा जायेगा।
3. प्रतिदाय रकम को पात्रता के अनुसार बदलने की सुविधा होगी।
4. एमईए द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाण–पत्र, जिनमें प्रतिदाय की सुविधा अनुदत्त की गई है, को उपयुक्त अधिकारी के समक्ष प्रतिदाय दावा प्रसंस्करण करने हेतु उपलब्ध करवाया जायेगा।

11. जीएसटी डीआरसी–07 में संशोधन — "मूल नियम" के वर्तमान प्ररूप जीएसटी डीआरसी–07 में, क्रम सं0 5 पर सारणी का लोप किया जायेगा।

आज्ञा से,
राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 08/2018/9(120)/XXVII(8)/2017/CT-75**, dated January 01, 2018 for general information.

NOTIFICATION

January 01, 2018

No. 08/2018/9(120)/XXVII(8)/2017/CT-75--In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor is pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:--

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Fourteenth Amendment) Rules, 2017

1. **Short title and Commencement**

(1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Fourteenth Amendment) Rules, 2017.

(2) Unless otherwise specified, they shall come into force from the 29th day of December, 2017.

2. **Amendment in Rule 17**

In rule 17 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter referred to as the principal rules), after the existing sub-rule(1), the following sub-rule shall be inserted; namely:--

(1A) The Unique Identity Number granted under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 shall deemed to be granted under the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017.

3. **Amendment in Rule 19**

In rule 19 of the "Principal Rules", after the existing sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:--

(1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), any particular of the application for registration shall not stand amended with effect from a date earlier than the date of submission of the application in **FORM GST REG-14** on the common portal except with the order of the Commissioner for reasons to be recorded in writing and subject to such conditions as the Commissioner may, in the said order, specify.";

4. **Amendment in Rule 89**

In rule 89 of the "Principal Rules", with effect from 23rd October, 2017, for sub-rule (4) set out in column-1, the following sub-rule set out in column-2 shall be substituted, namely:--

Column-1	Column-2
Existing sub-rule	*hereby substituted sub-rule*
(4) In the case of zero-rated supply of goods or services or both without payment of tax under bond or letter of undertaking in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 16 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), refund of input tax credit shall be granted as per the following formula --	(4) In the case of zero-rated supply of goods or services or both without payment of tax under bond or letter of undertaking in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 16 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), refund of input tax credit shall be granted as per the following formula --
Refund Amount=(Turnover of zero-rated supply of goods + Turnover of zero-rated supply of services)×Net ITC÷Adjusted Total Turnover	**Refund Amount**=(Turnover of zero-rated supply of goods + Turnover of zero-rated supply of services)×Net ITC÷Adjusted Total Turnover
Where,-	Where,-
(A) "Refund amount" means the maximum refund that is admissible;	(A) "Refund amount" means the maximum refund that is admissible;
(B) "Net ITC" means input tax credit availed on inputs and input services during the relevant period;	(B) "Net ITC" means input tax credit availed on inputs and input services during the relevant period other than the input tax credit availed for which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both;
(C) "Turnover of zero-rated supply of goods" means the value of zero-rated supply of goods made during the relevant period without payment of tax under bond or letter of undertaking;	(C) "Turnover of zero-rated supply of goods" means the value of zero-rated supply of goods made during the relevant period without payment of tax under bond or letter of undertaking, other than the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both;
(D) "Turnover of zero-rated supply of services" means the value of zero-rated supply of services made without payment of tax under bond or letter of undertaking, calculated in the following manner, namely:--	(D) "Turnover of zero-rated supply of services" means the value of zero-rated supply of services made without payment of tax under bond or letter of undertaking, calculated in the following manner, namely:--
Zero-rated supply of services is the aggregate of the payments received during the relevant period for zero-rated supply of services and zero-rated supply of services, where supply has been completed for which payment had been received in advance in any period prior to the relevant period reduced by advances received for zero-rated supply of services for which the supply of services has not been completed during the relevant period;	Zero-rated supply of services is the aggregate of the payments received during the relevant period for zero-rated supply of services and zero-rated supply of services, where supply has been completed for which payment had been received in advance in any period prior to the relevant period reduced by advances received for zero-rated supply of services for which the supply of services has not been completed during the relevant period;

Column-1	Column-2
Existing sub-rule	*hereby substituted sub-rule*
(E) "Adjusted Total turnover" means the turnover in the State as defined under sub-section (112) of section 2, excluding the value of exempt supplies other than zero-rated supplies, during the relevant period;	(E) "Adjusted Total turnover" means the turnover in the State as defined under clause (112) of section 2, excluding— (a) the value of exempt supplies other than zero-rated supplies and (b) the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both, if any, during the relevant period;
(F) "Relevant period" means the period for which the claim has been filed.	(F) "Relevant period" means the period for which the claim has been filed.
	(4A) In the case of supplies received on which the supplier has availed the benefit of notification No. 914/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated 10th November, 2017, refund of input tax credit availed in respect of other inputs or input services used in making zero-rated supply of goods or services or both shall be granted.
	(4B) In the case of supplies received on which the supplier has availed the benefit of notification No. 916/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated 10th November, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated 23rd October, 2017 or both, refund of input tax credit availed in respect of inputs received under the said notifications for export of goods and the input tax credit availed in respect of other inputs or input services to the extend used in making such export of goods shall be granted.";
(5) In the case of refund on account of inverted duty structure, refund of input tax credit shall be granted as per the following formula-- **Maximum Refund Amount**={(Turnover of inverted rated supply of goods) × Net ITC ÷ Adjusted Total Turnover}—tax payable on such inverted rated supply of goods **Explanation**—For the purposes of this sub rule, the expressions "Net ITC" and "Adjusted Total turnover" shall have the same meanings as assigned to them in sub-rule (4).	

5. **Amendment in Rule 95**

In rule 95 of the "Principal Rules"—

(a) for the existing sub-rule (4) set out in column-1, the following sub-rule set out in column-2 shall be substituted, namely:--

Column-1 *Existing sub-rule*	**Column-2** *hereby substituted sub-rule*
(1) Any person eligible to claim refund of tax paid by him on his inward supplies as per notification issued section 55 shall apply for refund in **FORM GST RFD-10** once in every quarter, electronically on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, along with a statement of the inward supplies of goods or services or both in FORM GSTR-11, prepared on the basis of the statement of the outward supplies furnished by the corresponding suppliers in **FORM GSTR-11**.	(1) Any person eligible to claim refund of tax paid by him on his inward supplies as per notification issued under section 55 shall apply for refund in **FORM GST RFD-10** once in every quarter, electronically on the common portal, or otherwise, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, along with a statement of the inward supplies of goods or services or both in **FORM GSTR-11**.

(b) in sub-rule (3), in clause (a), the words "and the price of the supply coverd under a single tax invoice exceeds five thousand rupees, excluding tax paid, if any" shall be omitted;

6. **Amendment in Rule 96**

In rule 96 of the "Principal Rules" with effect from 23rd October, 2017—

(a) in the heading, after the words "paid on goods", the words "or services" shall be inserted;

(b) after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely:--

(9) The persons claiming refund or integrated tax paid on export of goods or services should not have received supplies on which the supplier has availed the benefit of notification No. 914/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated 10th November, 2017 or notification No. 916/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated 10th November, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated 23rd October, 2017.";

7. **Amendment in FORM GST REG--10**

For FORM GST REG—10 of the "Principal Rules", the following form shall be substituted, namely:--

"Form GST REG-10"

[*See rule 14(1)*]

Application for registration of person supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside india to a person in India, other than a registered person.

Part-A

(i)	Legal name of the person	
(ii)	Tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country	
(iii)	Name of the Authorized Signatory	
(iv)	Email Address of the Authorized Signatory	
(v)	Name of the representative appointed in India, if any (a) Permanent Account Number of the representative in India (b) Email Address of the representative in India (c) Mobile Number of the representative in India (+91)	
Note—*Relevant information submitted above is subject to online verification, where practicabla, bafore proceeding to fill up Part-B.*		

Part-B

1.	Details of Authorized Signatory		
	First Name	Middle Name	Last Name
	Photo		
	Gender		Male/Female/Others
	Designation		
	Date of Birth		DD/MM/YYYY
	Father's Name		
	Nationality		
	Aadhaar, if any		
	Address of the Authorized Signatory		Address line 1.
			Address line 2.
			Address line 3.

2.	Date of commencement of the online service in India			DD/MM/YYYY	
3.	Uniform Resource Locators (URLs) of the website through which taxable services are provided: 1. 2. 3.				
4.	Jurisdiction	Center		Bengaluru West, CGST Commissionerate	
5.	Details of Bank Account of representative in India (if appointed)				
	Account Number			Type of account	
	Bank Name		Branch Address		IFSC
6.	Documents Uploaded *A customized list of documents required to be uploaded (refer Instruction) as per the field values in the form*				
7.	**Declaration** *I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.* *I, ...hereby declare that I am authorized to sign on behalf of the Registrant. I would charge and collect tax liable from the non-assesse online recipient located in taxable territory and deposit the same with Government of India.* Signature Place : Name of Authorized Signatory : Date : Designation :				

NOTE:--Applicant will require to upload declaration (as per under mentioned format) along with scanned copy of the passport and photograph

List of documents to be uploaded as evidence are as follows :

1.	Proof of Place of Business of representative in India, if any: (a) For own premises-- Any document in support of the ownership of the premises like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. (b) For Rented or Leased premises-- A copy of the valid Rent/Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill (c) For Premises not covered in (a) and (b) above-- A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded.
2.	Proof of : Scanned copy of the passport of the Non-resident tax payer with VISA details. In case of Company/Society/LLP/FCNR/etc. person who is holding power of attorney with authorization letter. Scanned copy of Certificate of Incorporation if the Company is registered outside India or in India. Scanned copy of License is issued by origin country. Scanned Copy of Clearance certificate issued by Government of India.

3.	Bank Account Related Proof : Scanned copy of the first page of Bank pass book. one page of Bank Statement Opening page of the Bank Passbook held in the name of the Proprietor/Business Concern-containing the Account No., Name of the Account Holder, MICR and IFSC and Branch details.
4.	Scanned copy of documents regarding appointment as representative in India, if applicable.
5.	Authorization Form : For Authorized Signatory mentioned in the application form, Authorization or copy of Resolution of the managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format : Declaration for Authorized Signatory (Separate for each signatory) I.....(Managing Director/Whole Time Director/CEO or Power of Attorney holder) hereby solemnly affirm and declare that << name of the authorized signatory>> to act as an authorized signatory for the business <<Name of the Business >> for which application for registration is being filed/ is registered under the Central Goods and Service Tax Act, 2017. All his actions in relation to this business will be binding on me/us. Signatures of the persons who is in charge. S. No. Full Name Designation/Status Signature 1. Acceptance as an authorized signatory I << Name of the authorized signatory>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorized signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business. Signature of Authorized Signatory Place (Name) Date : Designation/Status

Instructions :

1. If authorized signatory is not based in India, authentication through digital signature certificate shall not be mandatory for such persons. The authentication will be done through Electronic Verification Code (EVC).
2. Appointed representative in India shall have the meaning as specified under section 14 of Integrated Goods and Services Tax Act, 2017.";

8. **Amendment in FORM GST REG-13** In **FORM GST REG-13** of the "Principal Rules" :

   (a) In PART-B, at serial no. 4, the words, "Address of the entity in State" shall be substituted with the words, "Address of the Entity in respect of which the centralized UIN is sought";

   (b) in the Instructions, the words, "Every person required to obtain a unique identity number shall submit the application electronically" shall be substituted with the words, "Every person required to obtain a unique identity number shall submit the application electronically or otherwise."

9. **Amendment in FORM GSTR-11** In **FORM GSTR-11** of the "Principal Rules", the following form shall be substituted, namely :

Form GSTR-11

[*See rule 82*]

Statement of inwards supplies by persons having Unique Identification Number (UIN)

Year				
Tax Period				

1.	UIN															
2.	Name of the person having UIN															

3. **Details of inward supplies received**

(Amount in ₹ for all Tables)

GSTIN of supplier	Invoice/Debit Note/Credit Note details			Rate	Taxable value	Amount of tax				Place of supply
	No	Date	Value			Integrated Tax	Central Tax	State Tax	CESS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3A. Invoices received										
3B. Debit/Credit Note received										

Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom

Place

Signature

Name of Authorized Signatory

Date:

Designation/Status

Instructions :

1. Terms Used :

(a) GSTN : Goods and Services Tax Indentification Number

(b) UIN : Unique Identity Number

2. Refund applications has to be filed in the same State in which the Unique Identity Number has been allotted.

3. For refund purposes only those invoices may be entered on which refund is sought."

10. **Amendment in FORM GST RFD-10** In **FORM GST RFD-10** of the "Principal Rules", the following form shall be substituted, namely:--

"FORM GST RFD-10"

[See *Rule 95 (1)*]

Application for Refund by any specialized agency of UN or any Multilateral Financial Institution and Organization, Consulate or Embassy of foreign countries, etc.

1. UIN :
2. Name :
3. Address :.
4. Tax Period (Quarter) : : From < DD/MM/YY > To < DD/MM/YY >
5. ARN and date of GSTR 11 : ARN < ..... > Date < DD/MM/YY >
6. Amount of Refund Claim : < INR > < In Words >

State	Central Tax	State Tax	Integrated Tax	Cess
Total				

7. **Details of Bank Account :**
   a. Bank Account Number
   b. Bank Account Type
   c. Name of the Bank
   d. Name of the Account Holder/Operator
   e. Address of Bank Branch
   f. IFSC
   g. MICR

8. **Verification :**

I.....as an authorized representative of <<Name of Embassy/ international organization>> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

That we are eligible to claim such refund as specified agency of UNO/Multilateral Financial Institution and Organization, Consulate or Embassy of foreign countries/any other person/ class of persons specified/ notified by the Government.

Date : Signature of Authorized

Signatory : Name :

Place : Designation/Status

Instructions :

1. Application for refund shall be filed on qurarterly basis.
2. Table No. 6 will be auto-populated from details furnished in table 3 of GSTR-11.
3. There will be facility to edit the refund amount as per eligibility.
4. Requisite certificate issued by MEA granting the facility of refund shall be produced before the proper officer for processing refund claim.";

11. **Amendment in FORM GST DRC-07** In **FORM GSTDRC-07** of the "Principal Rules", the Table at serial no. 5 shall be omitted.

By Order,
RADHA RATURI,
Principal Secretary.

विपिन चन्द्र,
एडिशनल कमिश्नर, राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

22 दिसम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 3691/पंजीयन निरस्त/2017–18–वाहन संख्या UP78AN7545 (HGV), मॉडल 2003, चेसिस 373341LWZ006568, इंजन नं0 697TC45KWZ119075, इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री रवीन्द्र सिंह पुत्र श्री हरवंश सिंह, मकान संख्या 105, शास्त्री नगर, टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम दर्ज है। दिनांक 28.11.2017 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 22.12.2017 को वाहन संख्या UP78AN7545 (HGV), मॉडल 2003, चेसिस 373341LWZ006568, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

रश्मि भट्ट,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत) ।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी

कार्यालय आदेश

27 दिसम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 715/पंजी0नि0/2017–वाहन संख्या UK10CA-0223 L.G.V., मॉडल 2011, चेसिस नं0 MA1LT2FWTB5L49010, इंजन नं0 11J9135087, कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री सतीश कुमार पुत्र श्री ईश्वर दास, मेन मार्केट, भटवाडी, जिला उत्तरकाशी के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 28.11.2017 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका उक्त वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण, कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी हैं तथा चेसिस नं0 वाहन से काट कर वाहन समाप्त कर दिया गया है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर देय नहीं है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह् के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, कुलवन्त सिंह चौहान, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी के दायित्व के अधीन केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाहन सं0 UK10CA-0223 L.G.V., मॉडल 2011, चेसिस नं0 MA1LT2FWTB5L49010, इंजन नं0 11J9135087 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कुलवन्त सिंह चौहान,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
उत्तरकाशी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 05 हिन्दी गजट/75–भाग 1–क–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 फरवरी, 2018 ई0 (माघ 14, 1939 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय पंचास्थानि चुनावालय अल्मोड़ा

सूचना

22 दिसम्बर, 2017 ई0

ग्राम पंचायतों के उप–प्रधानों का उप निर्वाचन माह दिसम्बर, 2017

संख्या 322/उप प्रधान निर्वाचन/2017–18–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना सं0–744/रा0नि0आ0अनु0–2/2241/2017, दिनांक 21.12.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में, मैं, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), अल्मोड़ा जिले के 03 रिक्त उप प्रधान पदों यथा–ग्राम पंचायत– 1. बंगोड़ा, 2. जैनोली, विकास खण्ड ताड़ीखेत, 3. गढ़स्यारी, विकास खण्ड चौखुटिया का उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समयसारणी के अनुसार सूचित करता हूँ:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन चिन्ह आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
28.12.2017 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक)	28.12.2017 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)	28.12.2017 (दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक)	28.12.2017 (अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 13:00 बजे तक)	28.12.2017 (अपराह्न 13:30 बजे से अपराह्न 15:30 बजे तक)	28.12.2017 (अपराह्न 16:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. उक्त निर्वाचन को सुचारू रूप से सम्पन्न करने हेतु खण्ड विकास अधिकारी सम्बन्धित विकास खण्डों हेतु नोडल अधिकारी होंगे, जो प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक निर्वाचन अधिकारी/मतदान अध्यक्ष नियुक्त करेंगे तथा नियुक्त किये गये निर्वाचन अधिकारियों की सूची अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करेंगे। निर्वाचन अधिकारी/मतदान अध्यक्ष के पद पर सहायक विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, कानूनगो, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या कोई अन्य कर्मचारी नियुक्त किया जा सकता है। परन्तु किसी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को अपनी तैनाती के ग्राम पंचायत में निर्वाचन अधिकारी नियुक्त नहीं किया जायेगा।

3. सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में नियुक्त किये गये निर्वाचन अधिकारी/मतदान अध्यक्ष, ग्राम पंचायतों की बैठक, दिनांक 28.12.2017 को उप प्रधान के निर्वाचन हेतु आहूत करेंगे। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के पंचायत भवन, यदि पंचायत भवन न हो तो ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय भवन अथवा धार्मिक स्थल को छोड़कर अन्य किसी सार्वजनिक स्थल पर ही आहूत की जायेगी, किसी व्यक्ति विशेष के निवास स्थान पर उक्त बैठक कदापि आहूत न की जायेगी।

4. उप प्रधान के निर्वाचन हेतु ग्राम पंचायत के सदस्यों की सूची निर्वाचक सूची होगी।

5. उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में यथासंशोधित एवं यथाप्रवृत्त) की धारा–11–ग(1) के अनुसार "उप–प्रधान, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से नियत रीति से निर्वाचित किया जायेगा" का प्रावधान है, अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार इस निर्वाचन में प्रधान को मत देने का अधिकार नहीं होगा।

6. उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 194(2) के अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथासंशोधित एवं यथाप्रवृत्त) के नियम 117(1) में दी गई व्यवस्था के अनुसार उप प्रधान के उप निर्वाचन के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिसूचना में मतदान हेतु विनिर्दिष्ट दिनांक को ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जायेगी।

7. उप प्रधानों के नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, नाम निर्देशन पत्रों की जाँच, नाम वापसी, निर्वाचन चिन्ह आवंटन, मतदान तथा मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा का कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न कराया जायेगा।

8. राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 191/रा0नि0आ0/निर्वा0(33)/2001, दिनांक 30 अगस्त, 2001 में उप प्रधानों के निर्वाचन हेतु अधिसूचित निर्वाचन प्रतीक चिन्ह प्रयोग में लाये जायेंगे एवं आयोग द्वारा आपूर्ति की गई मतपेटी प्रयोग में लायी जायेगी।

9. नाम निर्देशन पत्र का मूल्य सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी के लिए ₹ 70.00 (रु0 सत्तर) तथा अनु0 जाति, अनु0 जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिला के लिए ₹ 35 (रु0 पैंतीस) है।

10. निक्षेप (जमानत) की धनराशि सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी के लिए ₹ 250 (रु0 दो सौ पचास) तथा अनु0 जाति, अनु0 जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिला के लिए ₹ 125 (रु0 एक सौ पच्चीस) है।

11. उप प्रधान पद के प्रत्याशियों द्वारा व्यय किये जाने वाली धनराशि की अधिकतम सीमा ₹ 7,500.00 (रु0 सात हजार पाँच सौ) है।

12. उप प्रधान के निर्वाचन हेतु सफेद रंग के मतपत्र उपलब्ध कराये गये हैं। सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिक निर्वाचन प्रतीक वाले मतपत्रों को निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या तक सावधानीपूर्वक काटकर प्रयोग में लाया जायेगा, परन्तु किसी भी दशा में मतपत्र पर मुद्रित क्रमांक कटने न पाये तथा प्रयुक्त होने वाले निर्वाचन प्रतीक भी प्रभावित न होने पाये।

13. मतगणना में मतों के बराबर होने की दशा में यदि कई प्रत्याशियों के मतों की संख्या बराबर हो और उनमें एक मत अधिक बढ़ा देने से उनमें कोई एक प्रत्याशी निर्वाचित घोषित हो जाने का अधिकारी हो जायेगा तो निर्वाचन अधिकारी तुरन्त उनके बीच पर्ची डालेगा और इस प्रकार की कार्यवाही करेगा मानो उस प्रत्याशी ने, जिसके हक में पर्ची निकलती है, एक और मत प्राप्त कर लिया है तथा तद्नुसार परिणाम अवधारित किया जायेगा।

14. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना, सर्वसाधारण की जानकरी हेतु, विकास खण्ड अधिकारी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा देंगे, साथ ही सम्बन्धित ग्राम पंचायत, विकास खण्ड और तहसील कार्यालय के सूचनापटों पर भी यह कार्यक्रम चस्पा करायेंगे।

ह0 (अस्पष्ट)
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत), अल्मोड़ा।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 05 हिन्दी गजट/75–भाग 3–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 फरवरी, 2018 ई0 (माघ 14, 1939 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पंचायत सेलाकुई (देहरादून)

10 नवम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 151/गजट–लाइसेंस निय0/2017–18–नगर पंचायत, सेलाकुई, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नगर में स्थित फैक्ट्री/कम्पनियों/फर्मों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर वसूली व नियन्त्रण हेतु व्यवसायिक लाइसेन्स नियमावली, 2017 बनाती है।

उपविधि

1. परिभाषाएँ :

यह कि इस उपविधि में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) नगर पंचायत से तात्पर्य, नगर पंचायत, सेलाकुई से है।

(ख) प्रशासक से तात्पर्य नगर पंचायत, सेलाकुई के प्रशासक से है।

(ग) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य, नगर पंचायत, सेलाकुई के अधिशासी अधिकारी से है।

(घ) निकाय क्षेत्र का तात्पर्य, नगर पंचायत, सेलाकुई की निकाय सीमा से है।

(ङ) नियमावली/उपनिधि का तात्पर्य, फैक्ट्री/कम्पनियों/फर्मों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर वसूली व नियन्त्रण हेतु व्यवसायिक लाइसेंस नियमावली, 2017 से है।

2. शर्तें :

1. यह उपविधि, फैक्ट्री/कम्पनियों/फर्मों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर वसूली व नियन्त्रण हेतु व्यवसायिक लाइसेंस नियमावली, 2017 कहलायेगी।
2. यह उपविधि सम्पूर्ण नगर पंचायत, सेलाकुई सीमा क्षेत्र पर प्रभावी होगी।

3. यह उपविधि नगर पंचायत की सीमा के अन्दर स्थित फैक्ट्रियों/कम्पनियों/फर्मों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर तथा भविष्य में स्थापित होने वाली फैक्ट्रियों/कम्पनियों पर लागू होगी।

4. कोई भी व्यक्ति बिना अपना लाइसेन्स बनाये अपनी फैक्ट्री/कम्पनियों/फर्मों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को संचालित नहीं करेगा, जब तक कि उपविधि के अधीन वह निर्धारित शुल्क अदा कर लाइसेंस प्राप्त न कर लेवे।

5. इस उपविधि के अधीन अनुज्ञाधारी को पड़ोस के निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए निम्न शर्तों का पालन करना होगा।

6. (1) फैक्ट्री में 18 वर्ष के कम आयु के व्यक्ति को कार्य पर नहीं रखेंगे।

(2) संक्रामक रोगों तथा तृष्णात्मक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को कार्य पर नही रखा जायेगा।

(3) फैक्ट्री के अहातों को नगर पंचायत के अधिकारियों अथवा स्वास्थ्य विभाग से अधिकारियों को निरीक्षण की माँग करने पर पूर्ण सहयोग करेंगे।

(4) यदि फैक्ट्री में चिमनी हो तो उसकी ऊँचाई पड़ोस की सबसे ऊँची ईमारत से 15 फिट से कम ऊँचाई पर नहीं रखेंगे।

(5) फैक्ट्री/कम्पनी स्वामी असाधारण शोरगूल तथा प्रदूषण को रोकने की पूरी–पूरी व्यवस्था रखेगा।

(6) फैक्ट्री में बहने वाले गन्दे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था की जानी होगी।

7. इन उपविधियों के अधीन अधिशासी अधिकारी लाइसेन्स अधिकारी होगा। लाइसेन्स जारी करने तथा उपविधियों के नियमों के अन्तर्गत पात्र न पाये जाने पर प्रशासक का निर्णय अन्तिम होगा।

8. लाइसेन्स अधिकारी को फील्ड के अधिकृत कार्मिक के माध्यम से लाइसेन्स के संबंध में समस्त उचित कार्यवाही करने के साथ–साथ लाइसेन्स रद्द करने तथा रोकने का अधिकार होगा।

9. लाइसेन्सधारक का स्वयं का कर्तव्य होगा कि वह स्वयं अपनी फर्म/फैक्ट्री/कम्पनी का लाइसेन्स बनवाये। यदि कोई फैक्ट्री मालिक/प्रबन्धन, फैक्ट्री का लाइसेन्स नहीं बनाता है अथवा नवीनीकरण नहीं करता है तो लाइसेन्स अधिकारी को ऐसे फैक्ट्री मालिक, प्रबन्धन/व्यक्ति के विरूद्ध चालान करने का अधिकार होगा। चालानी कार्यवाही के पश्चात् यदि फैक्ट्री मालिक/प्रबन्धन/व्यक्ति लाइसेन्स बनाने हेतु सहमत हो जाता है तो उसे लाइसेन्स शुल्क के साथ विलम्ब शुल्क, विधिक व्यय तथा लाइसेन्स शुल्क अदा कर लाइसेन्स जारी किया जायेगा।

10. अनुज्ञा–पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही जारी किया जायेगा।

11. प्रत्येक लाइसेन्स की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि का होगा। यदि कोई फैक्ट्री/कम्पनी वर्ष के बीच में स्थापित होती है और लाइसेन्स निर्गत किया जाता है तो वह भी वर्ष की शेष अवधि अर्थात् 31 मार्च तक की अवधि के लिए ही होगा।

12. लाइसेन्स की दरें निम्न प्रकार होगीः–

लाइसेन्स शुल्क की दरें

क्र0	फैक्ट्री/फर्म/कम्पनी/व्यवसाय का नाम	लाइसेन्स शुल्क (वार्षिक)
1	2	3
1.	लकड़ी का कोयला बनाना	300/–
2.	आटा चक्की	300/–
3.	धान मशीन	300/–
4.	रूई मशीन	300/–
5.	गन्ना चरखी	300/–
6.	आरा मशीन	500/–

1	2	3
7.	तेल कोल्हू	300/–
8.	काँच का सामान बनाने की फैक्ट्री	500/–
9.	हींग फैक्ट्री	2,000/–
10.	रासायनिक पदार्थ, जिसमें दवाई बनाना शामिल है, फैक्ट्री	2,500/–
11.	चाय फैक्ट्री	1,500/–
12.	लोहे का सामान बनाने की फैक्ट्री	500/–
13.	शराब फैक्ट्री	6,000/–
14.	ऊन धुनने की मशीन/धागा बनाने की मशीन	2,000/–
15.	चीनी मिल	3,000/–
16.	पंखा फैक्ट्री	300/–
17.	चना पीसने की मशीन	400/–
18.	रबड़ का कार्य करने की फैक्ट्री	600/–
19.	पेट्रोल पम्प	600/–
20.	कोल्ड स्टोरेज	1,200/–
21.	गत्ता फैक्ट्री	1,000/–
22.	सीमेन्ट फैक्ट्री	6,000/–
23.	प्लास्टिक फैक्ट्री	1,000/–
24.	सल्फर फैक्ट्री	2,000/–
25.	बल्ब फैक्ट्री	300/–
26.	आटा मिल व राईस, सेलर	3,000/–
27.	सल्फर प्लॉन्ट	2,000/–
28.	थर्मामीटर, ब्लेड, माचिस आदि की फैक्ट्री	400/–
29.	बर्फ बनाने की फैक्ट्री	800/–
30.	दूध का पाउडर तथा अन्य सामान बनाने की फैक्ट्री	2,000/–
31.	रेशम का कपड़ा बनाने की मिल	1,000/–
32.	पोटरी मैनुफैक्चरिंग चीनी मिट्टी का सामान बनाने की मिल	2,000/–
33.	मोटर, स्कूटर मरम्मत की वर्कशॉप	500/–
34.	ग्लास फैक्ट्री	3,000/–
35.	घड़ी बनाने का कारखाना	3,000/–
36.	जनरेटर मोटर मशीन व टूल्स बनाने की मिल	3,000/–
37.	लाइट इन्जीनियरिंग शक्ति चलित	2,000/–
38.	कालीन, दरी बनाने की मिल	1,000/–
39.	सीमेन्ट के कार्य जैसे गमले/जाली/टायल्स आदि	800/–
40.	पापड़/चिप्स/आम जैली, रस आदि का कारखाना	400/–

1	2	3
41.	गैस सिलेन्डर बनाने की फैक्ट्री	1,500/–
42.	इलेक्ट्रानिक, कम्प्यूटर उपकरण बनाने की फैक्ट्री	800/–
43.	तेल मिल	750/–
44.	होजरी बनाने की फैक्ट्री	750/–
45.	खुखरी बनाने की फैक्ट्री	3,000/–
46.	अन्य बड़ी फैक्ट्री, जिनकी लागत ₹ 5 लाख से अधिक प्रतिवर्ष हो	3,000/–
47.	अन्य छोटी फैक्ट्री, जिनकी लागत ₹ 5 लाख से कम प्रतिवर्ष हो	2,000/–
48.	अन्य छोटे–छोटे शक्तिचलत उद्योग, जो ऊपर वर्णित में न आते हो	600/–

13. बाजारों में स्थित फर्म/दुकाने/व्यापारिक प्रतिष्ठान :

नगर में पड़ने वाले व्यापारिक क्षेत्र/बाजारों में स्थित फर्मों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों/दुकानों पर लाइसेन्स की दरें निम्न प्रकार होंगी:–

क्र0	फैक्ट्री/फर्म/कम्पनी/व्यवसाय का नाम	लाइसेन्स शुल्क (वार्षिक)
1	2	3
1.	कपड़े की दुकान, जिसमें 10 हजार से ऊपर का माल हो	200/–
2.	कपड़े की दुकान, जिसमें 10 हजार से कम का माल हो	100/–
3.	परचून की दुकान, जिसमें 10 हजार से ऊपर का माल हो	200/–
4.	परचून की दुकान, जिसमें 10 हजार से कम का माल हो	100/–
5.	परचून एवं कपड़ें की संयुक्त बड़ी दुकान	250/–
6.	परचून एवं कपड़ें की संयुक्त छोटी दुकान, जिसमें 10 हजार से कम का माल हो	150/–
7.	गल्ला किराने की दुकान, जिसमें 10 कुन्तल से अधिक का माल हो	250/–
8.	गल्ला किराने की दुकान, जिसमें 10 कुन्तल से कम का माल हो	150/–
9.	सोना, चाँदी के आभूषण बनाने की दुकान तथा व्यापार	250/–
10.	कैमिस्ट अथवा मेडिकल स्टोर	250/–
11.	खाना खाने का ढाबा	250/–
12.	हलवाई एवं चाय आदि	150/–
13.	ढाबे एवं चाय दुकान	100/–
14.	पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकान	50/–
15.	शरबत, लस्सी व अन्य शीतल पेय	50/–
16.	होटल ठहरने एवं खानें वाले	500/–
17.	स्टेशनरी व पुस्तकों की दुकान	150/–
18.	स्टील, चीनी मिट्टी तथा कंक्रीट धातु के बर्तन बेचना	250/–
19.	रेडीमेड गारमेन्ट, ऊन की दुकान	200/–
20.	फर्नीचर की दुकान	350/–
21.	ईंधन, जिसमें मिट्टी का तेल, कोयला, लकड़ी टाल शामिल है	200/–
22.	फल–सब्जी की दुकान	100/–
23.	डाक्टर	200/–

1	2	3
24.	मोटर वाइन्डिंग की दुकान	350/–
25.	खाद् या पशु आहार	500/–
26.	सीमेन्ट, मारबल, चूना दुकान	600/–
27.	नाई की दुकान	50/–
28.	ब्यूटी पार्लर, टेलर, घड़ीसाज, साइकिल की दुकान	100/–
29.	दूध, दही, डेरी की दुकान	200/–
30.	टेन्ट हाऊस व रेस्टोरेन्ट	500/–
31.	बेकरी	400/–
32.	रेडियो, टी0वी0, इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत इत्यादि एवं बिक्री	350/–
33.	एस0टी0डी0, पी0सी0ओ0 इत्यादि	100/–
34.	किसी भी प्रकार का सामान फेरी से बेचना	100/–
35.	भूसा स्टोर, स्पेयर, पेन्टस की दुकान	250/–
36.	सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान	250/–
37.	कबाड़ी की दुकान	300/–
38.	फोटोग्राफर	300/–
39.	अन्य जो उपरोक्त वर्णित में न आते हो, की दुकान	250/–
40.	मोबाइल दुकान	350/–
41.	कम्प्यूटर दुकान	350/–
42.	जिम	500/–
43.	होस्टल	1,500/–
44.	हाथ रेहड़ी/ठेली आदि	100/–

दण्ड

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अधीन निर्मित उक्त उपविधि में लागू शर्तों का अनुपालन न करने, उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को नगर पंचायत द्वारा नोटिस दिए जाने तथा फिर भी उल्लंघन जारी रहने, लाइसेन्स न बनवाये जाने पर, नगर पंचायत को अधिकार होगा कि वह ₹ 5,000/– का चालान करेगी तथा सक्षम न्यायालय में उसका चालान पेश करेगी। उल्लंघन के जारी रहने की दशा में ₹ 50/– प्रतिदिन की दर से जुर्माना पृथक से किया जायेगा, जुर्माना अदा न करने की दशा में 3 मास का साधारण कारावास का दण्ड दिया जा सकता है। जिसका जिम्मेदार स्वयं फैक्ट्री/कम्पनियों/फर्मों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धक/स्वामी होंगे।

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत–सेलाकुई,
देहरादून।

ह0 (अस्पष्ट)
प्रशासक/जिलाधिकारी,
नगर पंचायत–सेलाकुई,
देहरादून।

सूचना

सैन्य अभिलेखों में मेरी पत्नी का नाम भूलवश दीपा जोशी अंकित है जबकि वास्तविक नाम दीपा है। भविष्य में मेरी पत्नी को दीपा पत्नी गोपाल दत्त नाम से जाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

गोपाल दत्त पुत्र स्व0 श्री कृष्णानंद
निवासी ग्राम हरीपुर बच्ची पोस्ट
आफिस हल्दूचौड (नैनीताल)

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 05 हिन्दी गजट/75–भाग 8–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।